उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

अधिहरण वाद संख्या-05/2023-24

सरकार

बनाम्

तराना खातुन एवं अन्य

—: आदेश :—

दिनांक 11/7/23

सरकारी वकील एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

मामला बोआरीजोर थाना काण्ड संख्या–35 / 2022 दिनांक–25.08.2022 से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने अपने पत्रांक–712 / अप0शा0 दिनांक–24.02.2023 से धारा–414 / 34 भा0द0वि0, खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9 / 13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 एवं 30(ii) कोल माईन्स एक्ट–1973 के तहत कांड में जप्त 1. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–JH17Y-8410, 2. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–JH17Z-4310 एवं 3. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–JH17Y-4565 तथा उस पर लदे कोयला को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया है, जिसके आधार पर वर्तमान वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा का प्रतिवेदन है कि वर्तमान कांड वादी स0अ0नि0, बोआरीजोर के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त 1. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–JH17Y-8410, 2. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–JH17Z-4310 एवं 3. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–JH17Y-4565 के मालिक एवं चालक के विरूद्ध अवैध रूप से कोयला की चोरी कर परिवहन करने में अंकित किया गया है एवं पर्यवेक्षणोपरांत प्रतिवेदन संख्या–02 में इस कांड को धारा–414 / 34 भा0द0वि0, खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियमं 1957 का नियम 4 एवं 9 / 13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 एवं 30(ii) कोल माईन्स एक्ट–1973 के तहत प्राथमिकी अभियुक्त 1. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–JH17Y-8410, 2. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–JH17Z-4310 एवं 3. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–JH17Y-4565 के मालिक एवं चालक के विरूद्ध सत्य पाया गया है तथा काण्ड में जप्त 1. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–JH17Y-8410, के मालिक ताराना खातुन, पति–सहनवाज शेख, सा0–डोय,

थाना—मेहरमा, जिला— गोड्डा, 2. मोटरसाईकिल निबंधन सं0—JH17Z-4310 के मालिक विकास कुमार, पिता—संतोष मंडल, सा0—डोय, थाना—मेहरमा, जिला—गोड्डा एवं 3. मोटरसाईकिल निबंधन सं0—JH17Y-4565 के मालिक मो0 अनवर शेख, पिता—मो0 अजीम शेख, सा0—डोय, थाना—मेहरमा, जिला—गोड्डा के रूप में सत्यापित हुआ है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने कांड में जप्त 1. मोटरसाईकिल निबंधन सं0—JH17Y-8410, 2. मोटरसाईकिल निबंधन सं0—JH17Z-4310 एवं 3. मोटरसाईकिल निबंधन सं0—JH17Y-4565 एवं उस पर कोयला के विरूद्ध धारा—414/34 भा0द0वि0, खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 एवं 30(ii) कोल माईन्स एक्ट— 1973 के तहत राजसात करने के लिए अनुरोध किया है।

विपक्षी ताराना खातुन एवं मो0 अनवर शेख का कथन है कि विपक्षी क्रमशः जप्त वाहन 1. मोटरसाईकिल निबंधन सं0—JH17Y-8410 एवं 3. मोटरसाईकिल निबंधन सं0—JH17Y-4565 के मालिक है। जप्त मोटरसाईकिल एवं चालक को जुर्मना जमा करने के पश्चात मेहरमा थाना काण्ड संख्या—35/2022 में जमानत मिल चुका है। विपक्षी के विरूद्ध कोई अन्य अपराधिक मामला नहीं है एवं श्री दिव्यम चौधरी, न्यायीक दण्डाधिकारी, गोड्डा प्रथम के न्यायालय में मामला लंबित है और चूँकि जप्ती सूची स्वतंत्र ग्वाहों की उपस्थिति में नहीं तैयार किया गया है एवं विपक्षी का कथित अपराध प्रथम है। इसलिए विपक्षी के जप्त वाहन को विमुक्त करने की कृपा की जाय।

विपक्षी विकास कुमार का कथन है कि विपक्षी घोरीचक से अपने डोय जा रहा था एवं पानी पीने के क्रम में सड़क के किनारे खड़ा किया था। पुलिस ने उसके मोटरसाईकिल को संदिग्ध तरीके से जप्त किया गया है। हालांकि आरोप है कि दो क्विंटल कोयला जप्त मोटरसाईकिल में लदा हुआ था। यह आरोप निराधार है एवं विपक्षी को जमानत प्राप्त हो चुका है। ऐसी स्थिति में जप्त वाहन को राजसात करना उचित नहीं है। उन्होंने जप्त वाहन को राजसात से मुक्त करने के लिए अनुरोध किया है।

सरकारी वकील का कथन है कि जप्त वाहन अवैध कोयला के परिवहन में जप्त किया है। इसलिए राजसात किया जा सकता है।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि को धारा—414/34 भा0द0वि0, खान एवं खनिज (विकास का विनियमन)

अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 एवं 30(ii) कोल माईन्स एक्ट–1973 के तहत प्राथमिकी अभियुक्त 1. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–JH17Y-8410, 2. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–JH17Z-4310 एवं 3. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–JH17Y-4565 के मालिक एवं चालक के विरूद्ध सत्य पाया गया है। जप्ती के समय विपक्षी की ओर से कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में काण्ड में जप्त 1. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–JH17Y-8410, 2. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–JH17Z-4310 एवं 3. मोटरसाईकिल निबंधन सं0–JH17Y-4565 एवं उस पर लदे कोयला को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोड्डा/थाना प्रभारी, बोआरीजोर/जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा/जिला परिवहन पदाधिकारी, गोड्डा को दें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।
11/07/23

उपायुक्त,
गोड्डा।
11/07/23

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.09.05 12:16:54 +05:30
Location: 172.21.32.1